

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ボ・ 626] No. 626] नई दित्ती, बृहस्पतिवार, नवम्बर 9, 1995/कार्तिक 18, 1917 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 9, 1995/KARTIKA 18, 1917

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

इंविधि कार्य विमाग है

अधिसूचना

नई दिल्ली, ९ नवम्बर, 1995

का- आ: 893 ईआ है-—केन्द्रीय सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 है।987 का 39 है की धारा । की -्उप-धारा हैं 3 होरा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 9 नवस्वर, 1995 को ऐसी तारील के रूप मैं नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के सभी उपबैध, सिवाय अध्याय]ों। के, प्रवृत्त होंगे ।

> [फा॰ सै॰ 6 है। 0 है / 89 – सिलास] डा॰ वी॰ के॰ अग्रवाल, अपर सिधव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 1995

S.O. 893(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 2670 GI/95

1987), the Central Government hereby appoints the 9th November, 1995 as the date on which all the provisions of the said Act except Chapter III shall come into force.

[F. No. 6(10)/89-CILAS]

DR. V. K. AGARWAL, Addl. Secy.